

पत्रांक-श्रम क०सं०-29/2026(अंश-"क")-893

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, दरभंगा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी.	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निराकृतता का व्योत, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रव० सुभाष चन्द्र राय, 58, भूपनारायण राय, सामान्य वर्ग	प्रियंका कुमारी, (पत्नी)	1954 01.06.2026	ग्राम+पो०- बिठौली, था०+प्र०-बहेडी, जिला-दरभंगा, मो०-8757416249	240700040 0314775	PNB PUNB0 240700	रु 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामाविक मृत्यु, पेन्टर का कार्य

कुल राशि:-रु० 50,000/-

(पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011"/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-29/2026(अंश-"क")-893

पटना, दिनांक :- 14/07/2026

प्रतिलिपि :-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, दरभंगा/उप श्रमायुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

14/07/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक